न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सतीश बनाम गंगासहाय
प्र0 सं0 - 62/2017
स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

10-1-18 अधिवक्ता फरीकैन उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। दस्तावेज शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय में विचाराधीन मु0नं0 8/2017 अन्तर्गत धारा 122 एल.आर.एक्ट. उनवानी गंगासहाय बनाम सतीश की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली को न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट महवा जिला दौसा में स्थानांतरित किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिकराय प्रकरण की मूल पत्रावली को अविलम्ब न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट महवा में भिजवावें। उभयपक्षकार दिनांक 30-1-2018 को न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट महवा में उपस्थित होवें। उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय एवं महवा को निर्णय की प्रति सहित तहरीर भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल लेखा भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 10-1-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा